प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 515/2022

अनवान : –

1. संतोष पत्नी निहाल सिंह जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. अमरचन्द पुत्र साजनराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. बृजलाल पुत्र साजनराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. शान्ती पुत्री रामजस (पत्नी साजन राम) जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. शीला देवी पुत्री साजन राम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. विजय सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. शशि बाला पुत्री निहाल सिंह जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. साजनराम पुत्र हिराराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 20.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 201/201की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि व 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 116/114 की कुल 1. 0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 563/555 की कुल 8.7890 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो की वादीया संख्या 1 की सास व वादी संख्या 2 ता 3 की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 जो की वादीया संख्या 1 की ननद व वादी संख्या 2 ता 3 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्रों/भाईयों व मृतक पुत्र [illegible] के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 जो कि वादीया संख्या 1 के पुत्र [illegible] उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर चुके है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:00:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही बचा है। बाद हक त्याग रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 201/201 की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि व 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 116/114 की 1.0120 हैक्ट भूमि दोनों खातों में वादीगण संख्या 1 ता 3 बहिब काबिज है रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 563/555 की कुल 8.7890 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 5 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उभयपक्षों को सुनों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 201/201की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि व 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 116/114 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 563/555 की कुल 8.7890 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी स0 1 ता 5 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:00:29 IST
Reason: SelfAttested

...खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों / शपथ पत्र के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 201 / 201 की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि व 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 116 / 114 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनों खातो में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 563 / 555 की कुल 8.7890 हैक्ट भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:00:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 515/2022

अनवान : –

1. संतोष पत्नी निहाल सिंह जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. अमरचन्द पुत्र साजनराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. बृजलाल पुत्र साजनराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. शान्ती पुत्री रामजस (पत्नी साजन राम) जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. शीला देवी पुत्री साजन राम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. विजय सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. शशि बाला पुत्री निहाल सिंह जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. सजनराम पुत्र हिराराम जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 515 सन 2022 निर्णय दिनांक 20.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों /शपथ पत्र के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 201/201की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि व 11 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 116/114 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 563/555 की कुल 8.7890 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 20/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:00:29 IST
Reason: SelfAttested